कम्प्यूटर एवं फोटोकॉपी मशीन के वार्षिक रखरखाव (ए0एम0सी0) की निविदा की शर्तें :–

01 निविदाकर्ता फर्म के पास जीवित जी0एस0टी0 पंजीयन होना अनिवार्य है।

02 निविदाकर्ता फर्म का पेन (PAN) नम्बर होना आवश्यक है।

03 अनुबंध की अवधि अनुबंध दिनांक से 01 वर्ष की रहेगी।

04 पुलिस अधीक्षक पुलिस प्रशिक्षण शाला उज्जैन को यह अधिकार होगा की वह किसी भी निविदादाता को प्रस्ताव के मूल्यांकन के दौरान या किसी भी समय आयोग्य घोषित कर सकते हैं।

05 निविदाकर्ता वांछित पात्रता दस्तावेज़ की पूर्ति में भ्रामक या झूठा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर एवं ठीक से कार्य नहीं करने के कारण संबंधित निविदाकार से कार्य वापस ले लिया जायेगा।

06 निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध के समय एकमुश्त 02 प्रतिशत की राशि का एफ0डी0आर0 जो पुलिस अधीक्षक पुलिस प्रशिक्षण शाला उज्जैन के नाम देय हो, ई0एम0डी0/परफॉरमेंस राशि के रूप में जमा कराई जाना अनिवार्य होगी।

07 प्रस्ताव दस्तवेजों का परीक्षण समिति द्वारा किया जावेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण शाला, उज्जैन का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

08 पुलिस अधीक्षक पुलिस प्रशिक्षण शाला उज्जैन को संपूर्ण निविदा अथवा निविदा के किसी भी कार्य को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है। कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।

09 अमानत राशि अनुबंध पूर्ण होने के पश्चात् ही नियमानुसार वापस की जावेगी। जमा अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जावेगा।

10 सफल निविदाकार को सूचना मिलने पर प्रस्तावित अवधि में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तावित राशि का 100 रूपये के स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र संपादित कराना होगा। अनुबंध पत्र पर होने वाला व्यय सफल निविदाकार द्वारा वहन किया जावेगा। निर्धारित समयावधि में अनुबंध संपादित नहीं करने पर अनुबंध निरस्त माना जावेगा।

11 दिये गये किसी कार्य को पूर्ण करने में सक्षम नहीं पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में तत्काल किसी अन्य एजेन्सी से उक्त कार्य करवाया जा सकेगा, ऐसी स्थिति में व्यय होने पर क्षतिपूर्ति राशि सफल निविदाकार से वसूल की जावेगी।

12 शासन के सभी नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

13 पुलिस अधीक्षक पुलिस प्रशिक्षण शाला उज्जैन अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी /कर्मचारी द्वारा दिये गये आदेश/निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा, यदि दिये गये आदेश का उल्लंघन करने पर यह निविदा/अनुबंध पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण शाला, उज्जैन द्वारा अनुबंध निरस्त

किया जा सकेगा, तथा निविदादाता की जमा संपूर्ण राशि राजसात कर ली जावेगी। इस संबंध में सफल निविदाकार को आपत्ती करने या क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

14 विधि में परिवर्तन के कारण या शासन आदेश के पालन में किन्हीं अप्रत्याशित/अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा निरस्त की जाती है, तो इस संबधं में संबंधित को किसी भी प्रकार की आपत्ती करने या क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

15 यदि किसी भी समय यह ज्ञात होता है, कि संबंधित (फर्म) को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया है, तो ऐजेन्सी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा, जिस पर संबंधित को किसी भी प्रकार की आपत्ती करने या क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

16 उपकरण संधारण करने हेतु समस्त संसाधन एकत्र करने की संपूर्ण जिम्मेदारी ऐजेन्सी की होगी जिसके लिये पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

17 यदि सफल फर्म/कम्पनी द्वारा निर्धारित अवधि में संधारण कार्य नहीं किये जाते है, तो अनुबंध निरस्त किया जाकर जमा अमानत राशि, राजसात कर ली जावेगी।

18 समस्त संधारण बिना किसी नुकसान के किया जाना होगा, इस हेतु पर मौके पर ही संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष संधारण एवं अन्य कार्य किये जाने होंगे।

19 संधारण किये जाने एवं अन्य समस्या की जानकारी सफल निविदाकर को उनके द्वारा दी जाएगी। समस्या की जानकारी प्राप्त होने पर अविलम्ब संस्था में उपस्थित होगा।

20 किसी भी विवाद की स्थिति में पुलिस अधीक्षक पुलिस प्रशिक्षण शाला उज्जैन का निर्णय अंतिम होकर बंधनकारी रहेगा एवं न्यायालयीन वाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र उज्जैन रहेगा। यह आवश्यक होगा कि वह उच्च गुणवत्ता वाला कार्य करे, किसी भी दशा में न्यूनतम गुणवत्ता कार्य स्वीकार नहीं होगा। यदि कार्य की गुणवत्ता उचित प्रतीत नहीं होती है, तो ऐसी दशा में उसका किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। खराब सामग्री/पार्टस लगाये जाने पर उपकरण में होने वाले नुकसान का उत्तरदायिकत्व सफल निविदाकार का होगा।

21 सफल निविदिकार द्वारा अनुबंध दिनांक से ही अनुबंध में उल्लेखित सामग्री पर टेगिंग करना अनिवार्य होगा जिसमें फर्म का नाम मेंटेनेंस का दिनांक एवं मेंटनेंस करने वाले के हस्ताक्षर रहेंगे। इसे डिज़िटल फार्म में भी सुरक्षित रखा जाये साथ ही मेंटेनेंस सामग्री वार्षिक रखरखाव रजिस्टर पृथक से रखा जाये जिसमें उपकरण का नाम मेंटनेंस करने वाले व्यक्ति का नाम, दिनांक एवं हस्ताक्षर करवाये जाये।

22 दर एवं आवेदन फार्म निर्धारित पृथक–पृथक सीलबंद लिफाफे में दिनांक 03.01.2020 तक प्रस्तुत करेंगे तथा दिनांक 04.01.2020 को प्रातः 12:00 बजे खोली जावेगी।

Application form

(To be submitted in technical bid)

S.No	Description	Details	Page no.
1.	Name of firm with address.		
2.	Firm registration & Certificate		
3.	GST N0. & Certificate		
4.	PAN Card		
5.	IT return 2018-2019		
6.	Turnover 2016-17 2017-18 2018-19	 ₹ ₹ ₹	
7.	Autorization/OEM Certi.of the Item.		
8.	Specifification compliance sheet.		

Note shall submit copy of all documents as per Applications form along with their price offer, without the tender may not be considered.

seal & Signature

Proforma For Rate

To Be Submitted in Financial Bid

S.No	Name of Item	Unit Rate	GST Tax % @	Total
1.	Per Computer			
2.	Photocopy machine			

Total Cost. in Words Rs

……………………………………………………..………………………
………………………..……………………………………………………
………..

Seal & signatures Tenderer